



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28042025-262748
CG-DL-E-28042025-262748

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1879]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 28, 2025/वैशाख 8, 1947

No. 1879]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 28, 2025/VAISAKHA 8, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2025

सं. 31/2025-सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 1921(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1), के साथ पठित धारा 3, और धारा 5 की उपधारा (1) और (1ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, एतद्वारा, निम्न दी गई सारणी के कॉलम 4 में उल्लेखित अधिकारी को कॉलम 3 में उल्लेखित अधिकारियों कि शक्तियों और कर्तव्यों के निर्वहन के दायित्व को सारणी के कॉलम 1 में उल्लेखित नोटिसी के संदर्भ में, कॉलम 2 में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसो के न्यायनिर्णयन उद्देश्य हेतु नियुक्त करता है, यथा:-

सारणी

नोटिसी का नाम और पता (मैसर्स)	कारण बताओ नोटिस संख्या और दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकरण का नाम	नियुक्त की गयी साधारण न्यायनिर्णयन प्राधिकरण।
(1)	(2)	(3)	(4)
मैसर्स मुर्रप्लास्टिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	एफ.सं. एस/3-विविध-82/2020-21 ग्रुप II एसीसी (I) के तहत जारी किया गया दिनांक 03.08.2021 का कारण बताओ नोटिस।	सहायक आयुक्त सीमा शुल्क ग्रुप II/ACC (I), मुंबई	आयुक्त, सीमा शुल्क (आयात), एसीसी, सहार, मुंबई, सीमा शुल्क क्षेत्र -III
	दिनांक 01.08.2024 का कारण बताओ नोटिस संख्या. 860/2024-25/एसी/ग्रेड II जी/एनएस-I/सीएसी/जेएनसीएच	सहायक आयुक्त सीमा शुल्क ग्रुप 2 जी / एनएस-I, जेएनसीएच	

[फा. सं. 466/10/2025-सीमा शुल्क.V]

धनंजय सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(THE CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2025

No. 31/2025-Customs (N.T.)

S.O. 1921(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4, read with section 3 and sub sections (1) and (1A) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs, hereby appoints officer mentioned in column (4) of the Table below to exercise the powers and discharge duties conferred or imposed on officers mentioned in column (3) of the said Table in respect of Noticee mentioned in column (1) of the Table, for purpose of adjudication of show cause notices mentioned in column (2) therein, namely:-

TABLE

Name of the Noticee(s) and Address (M/s.)	Show Cause Notice Number and Date	Name of Adjudicating Authorities	Common Adjudicating Authority appointed
(1)	(2)	(3)	(4)
M/s Murrplastik India Private Limited	Show Cause Notice dated 03.08.2021 issued vide F.No. S/3-Misc-82/2020-21 Gr.II ACC (I)	Assistant Commissioner of Customs Gr.II/ACC (I), Mumbai	Commissioner of Customs (Import), ACC, Sahar, Mumbai, Customs Zone -III
	Show Cause Notice No. 860/2024-25/AC/Gr.II G/NS-I/CAC/JNCH dated 01.08.2024	Assistant Commissioner of Customs Gr.2 G /NS-I, JNCH	

[F. No. 466/10/2025-Cus.V]

DHANANJAY SINGH, Under Secy.